

## बाल अपराध पर आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति का प्रभाव

किसलय कुमार  
शोधार्थी, शिक्षा संकाय  
बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर

भूमिका: अपराध मानव व्यवहार है किंतु सभी प्रकार का मानव व्यवहार अपराध नहीं है। सिर्फ वही मानव व्यवहार अपराध है जो सामाजिक मूल्यों के प्रतिकूल है और जिनसे समाज को हानि होती है। प्राणियों में कई प्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं जो इस जन्म में नहीं प्राप्त होती है, बल्कि पैदा होते ही जन्म के साथ आती हैं। प्राणी को जीवन रक्षा के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएँ आवश्यक है और वह इन आवश्यकताओं की पूर्ति का ख्याल रखता है। आवश्यकताओं की पूर्ति होने पर प्राणी को सुख व सन्तोष का अनुभव होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति को दुख व विक्षोभ का अनुभव होता है। इसके कारण व्यक्ति के शरीर में क्रिया आरंभ हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप या तो व्यक्ति उसे पाने की कोशिश करता है या उससे दूर भागने का प्रयास करता है। व्यक्ति के व्यवहार में तीन प्रकार की प्रक्रियाएँ काम करती हैं— इच्छा, ज्ञान और क्रिया।

कभी-कभी मानव समाज के नियम द्वारा इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है जिसके कारण क्षतिपूर्ति सीधे ढंग से न होकर गलत ढंग से होती है। इसी टेढ़े ढंग से प्रक्रिया को पूर्ण करने वाले व्यवहार को ही बाल अपराध के नाम से जाना जाता है। बाल अपराध सामान्य लक्षणों की तरह अपराध की भांति ही है। यह भी समाज विरोधी कार्य है और इससे भी कानून का उल्लंघन होता है। अंतर सिर्फ इतना है कि अपराध बालकों द्वारा किया जाता है। बालक का संबंध विशेष आयु से होता है। यह आयु एक देश में दूसरे देश से भिन्न पाया जाता है।

भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं होता है। 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों द्वारा किया गया कार्य समाज विरोधी अपराध की सीमा में नहीं आता है, जब तक उसे समझ में न आए। प्रत्येक बालक में लड़कपन होता है तथा वह नटखट होता है। वह उसका प्राकृतिक स्वभाव है। किंतु किसी बालक में नटखटपन पराकाष्ठा पर पहुँच जाता है। जब यह नटखटपन कानून का उल्लंघन करता है या जनकल्याण में बाधा उत्पन्न करता है। तो उसे बाल अपराध के नाम से जाना जाता है। कभी-कभी शैतानी करना बालक की आदत बन जाता है जिससे निरंतर समाज की सीमाओं का उल्लंघन होता है। इसके परिणाम स्वरूप जिस व्यवहार का जन्म होता है उसे बाल अपराध कहते हैं। बालक अपनी समाज विरोधी क्रियाओं को करने में असमर्थ होता है। वह अपराधों के परिणामों के ज्ञान के अभाव में समाज विरोधी कार्य करता है। इसके अलावा बाल अपराध का सीधा संबंध सामाजिक आयु से है। सामाजिक आयु में निम्नलिखित तत्व आते हैं— भावनात्मक स्थिरता और प्रौढ़ता, आदतें और दृष्टिकोण, समझ का प्रतिमान।

बालकों द्वारा किया गया समाज विरोधी कार्य ही बाल अपराध कहा जाता है। कानून की दृष्टि से एक खास आयु के बालक द्वारा समाज की रितियों-नितियों, प्रथाओं एवं मान्यताओं का उल्लंघन ही बाल अपराध है। बाल अपराध की कुछ परिभाषाएँ निम्नलिखित हैं:

डॉक्टर सुशील चंद्र— “यह सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जो बालकों के असामाजिक व्यवहार का अध्ययन करती है। प्रत्येक समाज चाहे वह उन्नत हो या अशिक्षित, सामाजिक मूल्यों के संग्रह को जो उनकी संस्कृति पीढ़ी की देन होती है, रखता है। इस समाज की रीति-रिवाज, प्रथाएँ, परंपराएँ एवं रूढ़ियाँ सामाजिक आवरण को परिभाषित करती हैं ताकि मौलिक मूल्यों की रक्षा हो सके

और ये टिक सके। इस प्रकार से स्थापित आदर्श आचरण जो सामाजिक सामान्य आचरण होते हैं, से अलगाव अपराधी आचरण का द्योतक है।”

रेकलेस के अनुसार— “बाल अपराध शब्द अपराधी विधि के उल्लंघन पर एवं व्यवहार संरूपण के उस पर अनुसरण पर लागू होता है जिसे बच्चों या वयस्कों द्वारा अच्छा नहीं समझा जाता है।”

न्यू मेयर— “बाल अपराध का अर्थ समाज विरोधी व्यवहार का कोई प्रकार है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक विघटन का समावेश होता है। इसमें एक निर्धारित आयु से कम आयु का वह व्यक्ति होता है जो समाज विरोधी कार्य करता है तथा कानून की दृष्टि से अपराधी होता है।”

सेथना— “बाल अपराध के अंतर्गत किसी बालक या ऐसे तरुण व्यक्ति के गलत कार्य आते हैं जो कि संबंधित स्थान के कानून के द्वारा निर्दिष्ट आयु सीमा के अंदर आता है।

रॉबिन्स— “बाल अपराधी प्रवृत्ति के अंतर्गत निम्नलिखित विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है— आवारागर्दी, भीख माँगना, दुर्व्यवहार, बुरे इरादे से शैतानी करना और उद्वंडता।”

मावरर— बाल अपराध को इस प्रकार से परिभाषित किया है— “वह व्यक्ति जो जानबूझकर इरादे के साथ तथा समझते हुए समाज की रूढ़ियों की उपेक्षा करता है जिससे उसका संबंध है।”

गिलीन एवं गिलीन के अनुसार— “समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से एक बालक अपराधी वह व्यक्ति है इसके व्यवहार को समाज अपने लिए हानिकारक समझता है।”

बाल अपराध पर विभिन्न स्थितियों का प्रभाव पड़ता है जिसमें मुख्य रूप से आर्थिक एवं पारिवारिक स्थिति का उल्लेख विस्तार के साथ किया जा रहा है। आर्थिक स्थिति का प्रभाव— आर्थिक स्थिति के प्रभाव का बाल अपराध पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन विभिन्न समाजशास्त्रियों के द्वारा किया गया है जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं:

व्हाइट (1943) ने स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी (1943) के अध्ययनों में दर्शाया है कि किस प्रकार अपराधी समूह में नेतृत्व का विकास होता है और उसमें निम्न वर्ग के गरीब बालक सदस्य होते हैं।

थ्रेसर (1937) के शास्त्रीय अध्ययन ‘दी गैंग’ इस विषय पर व्यापक प्रकाश डालता है कि गैंग के सदस्य अधिकांशतः गरीब बालक होते हैं। बाल अपराधों का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि अधिकतर अपराधी ऐसे घरों से आये हैं जो निर्धन होते हैं। निम्न आयु वर्ग (₹500 मासिक आय वाले) के 17887 बाल अपराधी पाए गए। निम्न एवं मध्यम आय वर्ग परिवारों (₹501 से ₹1000) के 6770 बाल अपराधी पाए गए। ₹1000 से ₹2000 आय वाले मध्यम आय वर्ग के परिवारों में 2989 बाल अपराधी पाए गए। उच्च मध्य आय वर्ग ₹2001 से ₹3000 परिवारों के 1436 बाल अपराधी पाए गए। उच्च आय वर्ग (₹3000 से अधिक में) 526 अपराधी पाए गए। इस प्रकार अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि बिहार के मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिले में लोगों के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आर्थिक स्थिति का बाल अपराध पर प्रभाव से मध्यम एवं निम्न वर्गीय परिवारों के 90 प्रतिशत सहमत तथा 10 प्रतिशत असहमत थे।

पारिवारिक पृष्ठभूमि का बाल अपराध पर प्रभाव— पारिवारिक पृष्ठभूमि का बाल अपराध पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।

- माता—पिता के साथ—साथ रहने वाले बाल अपराधी 69.75 प्रतिशत हैं।
- अपने संरक्षकों के साथ—साथ रहने वाले बाल अपराधी 19.75 प्रतिशत पाए गए हैं।
- गृह विहीन बाल अपराधी की संख्या 10.68 प्रतिशत पाया गया है।

मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा जिले में किए गए सर्वेक्षण से हमें यह पता चल रहा है कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का बाल अपराध पर प्रभाव शून्य से 54 प्रतिशत पाया गया है वहीं मध्य में निम्न वर्गीय परिवारों में 40 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत तक इसकी संभावना बनती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पारिवारिक पृष्ठभूमि का भी बाल अपराध की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका पाई जाती है।

निष्कर्षस्वरूप यह कहा जा सकता है कि बाल अपराध पर आर्थिक एवं पारिवारिक तत्वों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। चूंकि अध्ययन के आधार पर जो देखा गया है उससे या स्पष्ट होता है कि आर्थिक स्थिति से बच्चे प्रभावित हैं साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि भी समान रूप से अपना प्रभाव डालता है जिससे बच्चे कम उम्र में ही अपराध की वृत्ति से ग्रस्त हो जाते हैं।

### Reference

1. Cloward, Richard and Ohlin, Loyd E. (1960). *Delinquency and Opportunity: A Theory of Delinquent Gangs*, The Free Press, Glencoe, Illinois.
2. Garette, H. E. (1955). *Satisfaction in Psychology and Education (fourth Edition)*, Longman Green & Co., New York.
3. Gokhale, S. D. (1969). *Impact of Institution on Juvenile delinquents*, United Asia Publications Ltd., Bombay.
4. Jenkins, Richard L. (1957). 'Motivation and Frustration in Delinquency' in *American Journal of Ortho-psychiatry*.
5. Merton, Robert K. (1957). *Social Theory and Social structure*, The Free Press, Glencoe, Illinois.
6. Abrahamsen, David (1960). *The Psychology of Crime*, Columbia Press, New York.
7. Trojanowicz, Robert C. (1973). *Juvenile Delinquency Concepts and Control*, Prentice Hall Inc., Englewood Cliffs N.J.
8. McCord, Joan & Zola Irving (1959). *Origin of Crime*, Columbia University Press, New York.
9. Thakur, L. and Kumar, Harishankar (2021). *Baal Apraadh Manovriti Mapni*.